न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 85/2012 तारीख रजू:– 10.07.2012

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1.	बिजेद्रसिंह	पिसरान बदनसिंह जाति जाट निवासी करई
2.	राजेन्द्रसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान––– सायलान

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र परभाती जाति जाट निवासी करई तह0 हिण्डौन जिला करौली
2. बालकदास पुत्र नामालूम जाति जाट निवासी धरसौनी हाल करई तहसील हिण्डौन
3. जीतमल पुत्र कुम्हेर जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौनजिला करौली
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली –––––––––– गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट गैरसायल सं.1ता 3

निर्णय

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 ग्राम करई तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा रहा और किस्म जमीन सरकारी सिवायचक रही है।

प्रार्थना पत्र [illegible] नं03 [illegible] किया है कि उक्त साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा [illegible] मौजू[illegible] खसरा म्बर 338 रकबा 1.47 है0 सेटिलमेन्ट द्वारा कायम किया गया है। [illegible] करीब 12 बिस्वा यानि 16 एयर जमीन मौजूदा खसरा म्बर 337 रकबा 55 एयर जिसका साबिक [illegible]म्बर 210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा रहा है। इस प्रकार साबिक के मुताबिक 44 एयर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्थान पर 55 एयर सेटिलमेट कर्मचारियों से साज कर 11 एयर रकबा बढाया है। जिसकी मौजूदा खातेदारी रेवती, अर्जुन,भीम,फतेहसिंह मुन्शी पि0 राजपाल जाट निवासी करई के नाम है। इस प्रकार खसरा नम्बर 337 में से 11 एयर भूमि कम की जाकर आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 के स्थान पर 1.58 है0 कायम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में करीब 1 बीघा में तलाई है। जिसके चारों तरफ कदम के करीब 224 पेड लगे हुए है, नीम,शीशम,बड,पीपल के पेड सायलान के सहयोग से गांव की आम जनता के सहयोग से लगाये गये हैं। जिनके रख–रखाब की व्यवस्था हमेशा से सायलान व जनसहयोग से होती रही है। स्थान काफी अच्छा रमणीक होने पर गांव के जनसहयोग से एक छोडा सा मन्दिर श्री कृष्ण राधाजी का व हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित कर दी है। अब जमीनों की कीमतें अत्यधिक हो जाने के कारण गांव आस पास के कुछ लोगों की इस जगह को लेकर नीयत खराब हो रही है और मन्दिर व आस पास की जगह को जबरन हडपने के लिए कुछ असामाजिक तत्व प्रयासरत हैं। जबकि सायलान धार्मिक प्रवृति के व्यक्ति हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आस पास की खाली जगह को असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने की दृष्टि से उसमें हमेशा से काश्त कर पैदावार को मन्दिर की व्यवस्था में खर्च करते रहते हैं और यह क्रम आज भी बदस्तूर है।

उपखण्ड अधिकारी * हिण्डौन सिटी, जिला-करौली *

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 ता 3 द्वारा गांव के असामाजिक तत्वों का एक गिरोठ गठित कर रखा है, जो मदिर व उसके आस पास की जमीन जायदाद को हडपने पर आमादा है। गैरसायल नं02 अपने आपको पक्षकार बतलाता है। अखबार के कुछ रिपोर्टरों से उसने सम्पर्क कर रखा है। जो आये दिन अखबारों में गलत रिपोर्ट छपवाकर प्रशासन को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करता है। खर्चा करने के लिए गैरसायल सं02 जो एक गृहस्थ बाल बच्चेदार मकान दुकान का मालिक ग्राम धरसौनी का रहने वाला है। सीधी सादी आमजनता को बहला फुसलाकर गलत कार्य कलापों में मशगूल है। सट्टे की खाई का कार्य करता है। नम्बर बतलाता है। हर प्रकार के लोगों को लूटने का प्रयास करता है। यहॉ तक की गांव से गरीब लोगों की लडकियों को भी इधर उधर करने से नहीं चूकता है। इसलिए गैरसायलान ने गिरोह गठित कर अकूट सम्पत्ति अर्जित कर ली है और अब मन्दिर व आस पास के क्षेत्र की जमीन पर भी कब्जा करने की फिराक में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में [illegible] है कि भूमि विवादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के करीब 3–4 बीघा जमीन को काश्त कर पैदावार की आमद से मन्दिर की व्यवस्था सम्वत् 2043 से आज दिन तक करते चले आ रहे हैं और यह तथ्य खसरा परिवर्तनशील की नकलों से भली प्रकार साबित है। आराजी विवादग्रस्त पर सायलान का एडवर्ष पजेशन व लोंग

Scanned by CamScanner

टर्मस भी भली प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित है। इसलिए सायलान भूमि विवादग्रस्त के कब्जे काश्त की स्थिति को यथावत रखवाने के हकदार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ता 3 द्वारा आपस में साज कर सायलान के खिलाफ धारा 91रा0टी0एक्ट की कार्यवाही करवायी जा रही है जबकि कानून जब सायलान एडवर्ष पजेशन एवं लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर भूमि विवादग्रस्त में अपने हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार हो गये है, तो उनके खिलाफ धारा 91 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसलिए गैरसायल सं04 को उक्त कार्य सायलान के कार्य नहीं करने बाबत् पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 01.07. 2012 को सुबह करीब 9 बजे का है कि गैरसायल सायलान के घर आये और आकर कहने लगे कि मन्दिर के आस पास की जगह को राजी बाजी हमें सोंप दो अन्यथा इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। हम तुम्हारे परिवार को ही नष्ट कर देंगे। सायलान द्वारा गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे अजखुद मानने को तैयार नहीं है इसलिए वे अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान का अपूर्तनीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि वे सायलान के खिलाफ कोई कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 रा0ले0रे0 की नहीं करें। सायलान को खसरा नम्बर 338 रकबा 1.58 है0 के 62 एयर से बेदखल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायल सं01 ता 3 की ओर से श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 में झूंठा दावा पेश होना स्वीकार है। सायलान की सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं02 में दर्ज आराजी का होना स्वीकार है। उक्त आराजी से सायलान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कोई सम्बन्ध एवं वास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम करई गै0मु0तलाई की भूमि है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। सायलान को दावा एवं दरख्वास्त हाजा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह किसी सिवायचक खसरा नम्बर का रकबा कम या अधिक किया जाता है तो उसकी इन्द्राज दुरूस्ती का दावा करने का अधिकार केवल लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन को प्राप्त है। सायलान को कोई दर0 हाजा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि सिवायचक भूमि का रकबा कम हुआ है तो उसका दावा तहसीलदार हिण्डौन को पेश करना चाहिए।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 212 हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0तलाई दर्ज है। इसलिए सायलान का यह कहना कि केवल एक बीघा में तलाई है बिल्कुल गलत है। आराजी खसरा नमबर 338 में कदम कुंज बना हुआ है, जिसमें करीब 1200–1250 कदम के पेड, नीम,शीशम,बड व पीपल के पेड हैं तथा उक्त आराजी में मन्दिर श्री राधाकृष्ण जी स्थापित है। उक्त स्थान अत्यन्त पवित्र धार्मिक व सार्वजनिक आस्था का केन्द्र है। उक्त स्थान कदम कुंज करई के नाम से जिला करौली में विख्यात है। मन्दिर की सेवा पूजा व उक्त स्थान की देखरेख वर्षों से महात्मा बाबा बालकदास करते चले आ रहे है। उक्त महात्मा उक्त स्थान की देखरेख सार्वजनिक हित में करते हैं। उक्त तलाई से कदम के सभी पेडों को पर्याप्त पानी मिलता है। जिससे उक्त स्थान बिल्कुल हरा भरा एवं सरसब्ज रहता था। कदम के फूलों से उक्त स्थान सुरम्य बना हुआ था। सायलान ने उक्त तलाई की भूमि में अतिक्रमण कर दो वर्ष पूर्व से काश्त करना शुरू कर दिया ,जिसका पूरा गांव करई व आस पास के सभी गांवों ने घोर विरोध किया, जिस कारण सायलान के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रे0एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी, उन्हें दो – तीन बार उक्त आराजी से बेदखल भी किया जा चुका है। सिविल कारावास से दण्डित किया जा चुका है, परन्तु बार बार सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने पर पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं। श्रीमान् जिला कलक्टर करौली ने उक्त भूमि की तारबन्दी कर सार्वजकि हित में सुरक्षित करने का आदेश भी प्रदान कर रखा है। सायलान की नीयत उक्त आराजी पर खराब है [illegible] तथा सायलान ही असामाजिक तत्व है तथा वे ही उक्त आराजी को [illegible] हैं, जो उनके द्वारा दावा में मागे गये अनुतोष से साबित है। सरकार [illegible] सायलान की अतिक्रमण कर काश्त की गयी फसल सरसों को सरकार ने [illegible] कर लिया था जिसे भी सायलान सुपुर्ददार के कब्जे से जबरन उठाकर ले गये, जिसका मुकदमा एफ0आई0आर0 नं0 77/2013 थाना सदर हिण्डौन पर नायबतहसीलदार हिण्डौन पर दर्ज करवाया

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गया है, जो जेरे तफतीश है। इस प्रकार सायलान अपने कृत्य को दावा हाजा एवं दर0 हाजा की आड में वैधानिक साबित करना चाहते हैं। उक्त आराजी में हुई कमाई को सायलान स्वंय हडप कर जाते हैं। मन्दिर में आज दिन तक सायलान ने कोई राशि नहीं दी है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। असामाजिक तत्वों का गिरोह बनाकर सायलान सार्वजनिक गै0मु0 तलाई की भूमि को स्वंय हडप करना चाहते हैं जबकि गैरसायल सं01 ता 3 उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि करवाना चाहते हैं। जिससे उक्त स्थान सुरक्षित एवं सरसब्ज रहे। धार्मिक आस्था के लोग उक्त स्थान पर आते जाते रहे एवं पर्यटन का विकास हो। अखबारों में आज दिन तक इस सम्बन्ध में जो छपा है जो सर्व सत्य है। गैरसायल नं02 ने घर गृहस्थी का पूर्णरूप से त्याग कर दिया है तथा बैराग्य धारण कर साधू का जीवन व्यतीर कर रहा है। गैरसायल नं02 कोई भी अवैध कृत्य नहीं करता है। सारे आरोप झूंठे व मनगढन्त लगाये हैं, जिनमें कोई सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं06 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। मन्दिर की व्यवस्था में सायलान का कोई सहयोग नहीं है। मन्दिर की व्यवस्था गैरसायल सं02 व गैरसायल नं01 व 3 तथा अन्य गांव वालों की मदद से करता है। सायलान को तलाई की जमीन की पैदावार को स्वंय हडप कर जाते हैं। सायलान को तलाई की जमीन की खातेदारी किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं की जा सकती है। जलस्त्रोत को सुरक्षित रखना सरकार व न्यायालय का पवित्र कर्तव्य है। सायलान के दावे एवं दर0 हाजा से ही सायलान की बेईमानी स्पष्ट साबित है। सायलान एडवर्ष पजेशन के आधार पर गै0मु0 तलाई की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं07 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। सरकारी सिवायचक भूमि गै0मु0 तलाई पर सायलान द्वारा अवैध अतिक्रमण करने पर तहसीलदार/ नायबतहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 में कार्यवाही किया जाना कानूनी प्रक्रिया का भाग है। सायलान का उक्त आराजी पर न तो कोई एडवर्ष पजेशन प्राप्त हुआ है और ना ही लोंग टर्मस कब्जा साबित है। सायलान को प्रत्येक अतिक्रमण पर विधि अनुसार बेदखल किया गया है इसलिए सायलान का कोई लगातार कब्जा नहीं है। बीच बीच में टुकडों में अवैध अतिक्रमण किया गया है। जिसके लिए उन्हें बेदखल कर सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। गै0मु0 तलाई का न तो आवंटन किया जा सकता है ना ही नियमन किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार के खातेदारी / गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। ना ही धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

लैण्ड रेसन्यू एक्ट की कार्यवाही को रोका जा सकता है। सायलान का दावा एवं दर0 हाजा बिल्कुल गैरकानूनी है एवं मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि दर0 का मद नं08 कतई गलत है। दिनांक 01.07.2021 को सायलान व गैरसायलान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068से 71 किता 2, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान, फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2043 से 2051, एवं 2053 से 2067 तक की पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। सायलाान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलाान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला-करौली

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068से 71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी जलमग्न राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068से 71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी रेवती, अर्जुन भीम फत्ते पि0 राजपाल बहिस्सा बराबर जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2043 से 2051, एवं 2053 से 2067 पेश की है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2043 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 3 बीघा ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2044 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा गैहूँ जौ की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित [illegible] के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 212 रकबा 4 बीघा ग्राम [illegible] बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त [illegible] है। [illegible] खसरा परिवर्तित सं0 2046 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 212 [illegible] बीघा 10 बिस्वा ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2047, 2048 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.50 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2049 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.50 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा सरसों की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2050 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.50 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा चरी व तिल की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2051 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.50 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा सरसों की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2053 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.25 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2054 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.24 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा सरसों व गैहूँ की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2055 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.50 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा सरसों व गैहूँ की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2056 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.60 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2057 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.47 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा गैहूँ की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2058 से 66 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.40 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है। फोटो प्रति खसरा परिवर्तित सं0 2067 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.40 है0 ग्राम करई पर विजेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाट सा0देह के द्वारा गैहूँ की फसल काश्त की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी जलमग्न राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जिससे सायलान या गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान के द्वारा प्रस्तुत किये गये खसरा परिवर्तनशील की प्रतिलिपियों के आधार पर सायलान उक्त विवादित आराजीयात पर मात्र अतिक्रमी साबित होता है। सायलान का कोई एडवर्ष पजेशन अथवा लॉग टर्मस पजेशन साबित नहीं होता है। बल्कि सायलान उक्त विवादित आराजीयात पर मात्र अतिक्रमी है। जिसके विरूद्ध तहसीलदार/नायबतहसीलदार हिण्डौन के द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत जो कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है वह सही है। सायलान को उक्त भूमि पर किसी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकार के हक प्राप्त नहीं होते हैं। सुविधा का सन्तुलन एवं प्राईमाफेसी के सायलान के पक्ष में साबित नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2021
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner